30 अगस्त, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 59.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स ट्रांसेंडेंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	वघोली एवं भवादी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	13.01	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड	प्लाट नंबर आईटी-3, आईटी-4, एयरोली नालेज पार्क, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, नवी मुंबई	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	14.17	हां	हां	नया
(iii)	मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल)	मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1856.5335	हां	संख्या	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 59.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक	स्थान	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
(i)	मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड	भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात	इंजीनियरिंग	55.249565	6 जुलाई, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 104.72.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 5 दिसंबर, 2012 को एलओए जारी किया गया। विकासक ने अब 55.249565 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया था। भूमि विकासक के कब्जे में है [राज्य सरकार (राजस्व) के प्रतिनिधि की मौजूदगी में साइट का निरीक्षण किया गया]। औपचारिक अनुमोदन पर गुजरात सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

मद संख्या 59.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड का अनुरोध

10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 10.4813 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं / अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए सह विकासक बनने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(क) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण।
(ख) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।
(ग) सुरक्षा सेवाएं
(घ) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय
(ङ) विद्युत एवं चिल्ड वाटर का उत्पादन

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 फरवरी, 2013 भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित अनंतिम पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 30 साल है। पट्टा किराया की वार्षिक राशि 24,00,000 रुपए प्रति एकड़ है क्योंकि किराया की गणना संगत राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रचलित सर्किल दर के 10 प्रतिशत के आधार पर या पट्टा पर दी गई भूमि के अंकित मूल्य के आधार पर, जो भी कम है, जिसे स्वतंत्र सीए द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है या निर्मित स्थान के लिए 25 रुपए प्रति वर्ग फीट के आधार पर की गई है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

17.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

सह विकासक मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मूल रूप से एलओए दिनांक 17 जून 2008 जारी किया गया था :

"एकल स्रोत पर बिजली प्रदान करने तथा वैपर एब्जार्पशन मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट इंस्टाल करने के लिए सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करना"

विद्युत उत्पादन की क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर 84 मेगावाट करके अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से 7 अक्टूबर 2008 को वाणिज्य विभाग द्वारा उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों में संशोधन किए गए।

अब सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण

(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

अतिरिक्त प्रचालनों के लिए वर्तमान अनुरोध मूल करार दिनांक 1 मई 2008 के शुद्धिपत्र दिनांक 19 मार्च 2013 के आधार पर है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन करने के लिए इसकी सिफारिश की है

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो सेक्टर 30, ग्राम सिलोखेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

14.97 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

सह विकासक मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मूल रूप से एलओए दिनांक 17 जून 2008 जारी किया गया था :

"एकल स्रोत पर बिजली प्रदान करने तथा वैपर एब्जार्पशन मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट इंस्टाल करने के लिए सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करना"

विद्युत उत्पादन की क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर 84 मेगावाट करके अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से 7 अक्टूबर 2008 को वाणिज्य विभाग द्वारा उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों में संशोधन किए गए।

अब सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण

(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित

भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

अतिरिक्त प्रचालनों के लिए वर्तमान अनुरोध मूल करार दिनांक 16 अप्रैल 2008 के शुद्धिपत्र दिनांक 19 मार्च 2013 के आधार पर है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो सेक्टर 24 एवं 25 ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलफ साइबर सिटी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

10.30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

सह विकासक मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मूल रूप से एलओए दिनांक 20 अगस्त 2008 जारी किया गया था :

"उपर्युक्त एसईजेड में गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट इंस्टाल करने के लिए सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करना"

2x12 मेगावाट के पावर प्लांट तथा एयरकंडिशनिंग के लिए 2 मिलियन वर्गफीट के स्थान को अनुमोदित करके अनुमोदन बोर्ड के पूर्वानुमोदन से 22 दिसंबर 2009 को वाणिज्य विभाग द्वारा उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों में संशोधन किए गए।

अब सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है :

(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण

(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।

(iii) सुरक्षा सेवाएं

(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय

अतिरिक्त प्रचालनों के लिए वर्तमान अनुरोध मूल करार दिनांक 16 अप्रैल 2008 के शुद्धिपत्र दिनांक 19 मार्च 2013 के आधार पर है।

मामले की जांच करने के बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, रंगारेड्डी मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

10.617 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

सह विकासक मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मूल रूप से एलओए दिनांक 17 जून 2008 जारी किया गया था :

"एकल स्रोत पर बिजली प्रदान करने तथा वैपर एब्जार्पशन मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट इंस्टाल करने के लिए सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करना"

विद्युत उत्पादन की क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर 84 मेगावाट करके अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से 7 अक्टूबर 2008 को वाणिज्य विभाग द्वारा उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों में संशोधन किए गए।

अब सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

- **(i) एसईजेड के भवनों का विकास और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण**
- **(ii) विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।**
- **(iii) सुरक्षा सेवाएं**
- **(iv) फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय**

अतिरिक्त प्रचालनों के लिए वर्तमान अनुरोध मूल करार दिनांक 16 अप्रैल 2008 के शुद्धिपत्र दिनांक 19 मार्च 2013 के आधार पर है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है कि विकासक / सह विकासक स्वयं द्वारा धारित परिसंपत्तियों की सूची तथा अनुमानों में परिवर्तन के लिए संशोधित बांड सह एलयूटी प्रस्तुत करेंगे जिसे इसके बाद अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) सारंग गांव, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स क्लैरिजेज एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 जून 2006 के माध्यम से 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन तथा मैट / डीटीसी आदि आरोपित किए जाने के कारण औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) तालुक शिरपुर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्र एसईजेड के विकासक मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का निम्नलिखित के लिए अनुरोध :

(क) 1000 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्र को घटाकर 100 हेक्टेयर करना, और

(ख) 100 हेक्टेयर के शेष क्षेत्रफल को क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अर्थात इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक एसईजेड के रूप में बनाए रखना।

एसईजेड में भूखंडों के लिए कम मांग, मैट एवं डीडीटी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण विकासक ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है :

(क) क्षेत्रफल में कटौती के लिए फार्म 5 सी, और

(ख) बहुत उत्पाद्र एसईजेड का सेक्टर बदलकर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड करने के लिए फार्म सी 3

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तावों की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(ii) 142.1024 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो ग्राम झुंड सराय, भंगरोला एवं बांस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

142.1024 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने इस आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि यह लाभप्रद नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुरोध की सिफारिश की है :

(i) एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है।

(ii) प्राप्त किए गए कर / ड्यूटी छूट के समतुल्य राशि सरकारी खाते में जमा की गई है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 26.56019 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो ग्राम बांस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

26.56019 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 01 मार्च, 2011 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने इस आधार पर एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि यह लाभप्रद नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 14-43-2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड जो ग्राम दहीवाली, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

14-43-2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 मार्च, 2009 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सामान्य मंदी तथा स्थानीय नुकसान के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) 10-71-9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड जो ग्राम देवनावे, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

10-71-9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 जून, 2009 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सामान्य मंदी तथा स्थानीय नुकसान के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) 20.1366 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड जो जयपुर - अजमेर एक्सप्रेसवे, जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

20.1366 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी तथा बाजार में अनिश्चितता के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) 67.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम झुंड सराय और भंगरोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

67.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि वे परियोजना को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने में असमर्थ हैं।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.7 : पांचवें से सातवें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, ग्राम हिंजेवाड़ी एवं मान, तालुक मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड (जो औपचारिक रूप से मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के नाम से विख्यात है) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 27 जून 2008 को प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 26 जून, 2013 को समाप्त हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

- **(i) भूमि पर 6.57 करोड़ रुपए का निवेश**
- **(ii) अवसंरचना के विकास पर 173.43 करोड़ रुपए का निवेश (30 जून 2013 तक की स्थिति के अनुसार)**
- **(iii) कोई कर लाभ प्राप्त किए गए बगैर एसईजेड के 15 प्रतिशत प्रस्तावित भवनों (प्लिंथ लेवल) का विकास किया गया है।**
- **(iv) एसईजेड की अधिसूचना से 15-18 माह के अंदर एसईजेड को लागू एवं क्रियाशील करने की योजना।**

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) प्लाट नंबर टीजेड 07, सेक्टर आईटी पार्क, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16

मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 मार्च 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 16 मार्च 2013 को समाप्त हो गया है।

विकासक ने जीएनआईडीए से अपेक्षित अनुमोदनों के अभाव के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। विकासक ने परियोजना में निम्नानुसार 86.34 करोड़ रुपए का निवेश किया है :

1. **भूमि 38,88,65,070 रुपए**
2. **विकास से संबंधित व्यय 37,25,99,775 रुपए**
3. **परिसंपत्ति प्रबंध सेवाएं 7,07,17,807 रुपए**
4. **कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आदि 3,12,37,078 रुपए**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) प्लाट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 सितंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 3 सितंबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 2 सितंबर, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना शुरू करने के लिए अपेक्षित विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने तथा विभिन्न कारणों जैसे कि जलवायु में परिवर्तन, निष्पादन से संबंधित मुद्दों के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उन्होंने परियोजना में अब तक 82.29 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) गंभीरम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 जून 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 24 जून 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक अर्थात राज्य सरकार ने अनुमोदित सुविधाओं का निर्माण पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) चिक्कनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 30 अक्टूबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2013 को समाप्त हो रही है।

विकासक ने अनुमोदित सुविधाओं का निर्माण पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकासक ने परियोजना के चरण 1 में पिछले विस्तार के बाद 53.66 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा मार्च 2014 तक 87.3 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। परियोजना में कुल प्रस्तावित निवेश 961.50 करोड़ रुपए है। विकासक को इस साल के अंत तक संभावित आईटी / आईटीईएस उद्यमियों को निर्मित क्षेत्र पट्टा पर देने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम भागन, तहसील गनौर, सोनीपत और ग्राम कुरार इब्राहिमपुर, तहसील सोनीपत, हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 जून, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 17 जून, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने राज्य सरकार के साथ क्रियाशील रास्ता / पथ / जल मार्ग / नाला के तहत भूमि के विनिमय के लंबित मुद्दे तथा कानून की समयबद्ध प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए तत्कालीन जेवी पार्टनर द्वारा कंपनी के विरुद्ध झूठा मुकदमा किए जाने के आधार पर 17 जून 2014 के बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने परियोजना पर 115 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश और 90 करोड़ रुपए का परोक्ष निवेश किया है। एक सह विकासक अर्थात मैसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड तथा दो एसईजेड यूनिटों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह भी बताया गया है कि प्रसंस्करण क्षेत्र में चारदीवारी के साथ बुनियादी अवसंरचना जैसे कि सड़क, सीवेज, मेन गेट, स्ट्रीट पोल, स्टार्म वाटर ड्रेनेज आदि के विकास का कार्य पूरा हो गया है।

भूमि के विनिमय के लंबित होने के मुद्दे के संबंध में विकासक ने राज्य सरकार तथा अन्य के विरुद्ध हरियाणा और पंजाब के माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी दाखिल की है। अगली सुनवाई की तिथि 17 सितंबर 2013 है।

ग्राम भिगान और कुराड इब्राहिमपुर, मुर्थल के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विरुद्ध माडल टाउन, दिल्ली के थाने में आईपीसी की धारा 409 / 420 / 464 / 465 / 468 / 471 / 120बी / 34 के तहत एफआईआर नंबर 511/10 दिनांक 31 दिसंबर 2010 की जांच अपराध शाखा, नई दिल्ली के आर्थिक अपराध विंग के एंटी लैंड एंड बिल्डिंग रैकेट सेक्शन द्वारा भी लंबित है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 17 जून, 2014 तक एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से 101.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 जून, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने मांग के अभाव आदि के कारण एसईजेड के लिए चिह्नित भूमि पर जीएचआईएएल लेंडर की स्वीकृति प्राप्त करने में समयांतराल के आधार पर एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने बताया है कि बहु उत्पाद एसईजेड को बहु सेवा एसईजेड में परिवर्तित किए जाने के बाद एसईजेड के विकास की योजना को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जैसे कि मास्ठ प्लान, भौतिक सर्वेक्षण, मेट्रो को शामिल करते हुए मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट एलाइनमेंट आदि।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जून 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जून, 2013 को समाप्त हो रही है।

विकासक अर्थात राज्य सरकार ने अनुमोदित सुविधाओं का निर्माण पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 23 मई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 मई, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने वैश्विक मंदी के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकासक ने अवसंरचना की सहायता का इंस्टालेशन पूरा कर लिया है। उन्होंने अब तक 153.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा आश्वासन दिया है कि बढ़ाई गई अवधि के अंदर वे अपनी परियोजना को लागू करेंगे।

विकास आयुक्त, एमएसईजेड ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) चोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने वैश्विक मंदी के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने भूमि, भवन के निर्माण तथा कुछ प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर अपनी परियोजना में 80 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने सहायक अवसंरचना का निर्माण किया है जैसे कि फाउंडेशन वर्क, बेसमेंट में पार्किंग स्पेस तथा दूसरे एवं तीसरे तल पर कार्यालय स्थान, एसईजेड के लिए संपर्क सड़क का निर्माण पूरा हो गया है आदि। विकासक ने 2014 के अंत तक एसईजेड को पूर्णत: क्रियाशील बनाने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) अलुवा तालुक, एर्नाकुलम में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जून, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड को 8 अप्रैल, 2013 को अधिसूचित किया गया। विकासक को अब तक चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जून, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि अधिसूचना (8 अप्रैल 2013) के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से विभिन्न सांविधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके पास केवल तीन माह का समय था।

विकासक ने भूमि के क्रय, बैरिकेड के लिए सामग्री की व्यवस्था, कस्टम विभाग के साइट कार्यालय के लिए कंटेनर तैयार करने आदि के लिए 7.88 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xii) कांचा इमारत, रविरियाल गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जून, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 अक्टूबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 30 जून 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने राज्य सरकार द्वारा अवसंरचना एवं परियोजना सहायता प्राप्त न होने के कारण परियोजना कार्यान्वयन की धीमी गति की वजह से वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकासक ने एक भवन, आंतरिक सड़कों तथा साइट कार्यालय का निर्माण पूरा कर लिया है। दो कार्यालय भवनों, चारदीवारी तथा गेट का निर्माण आंशिक रूप से पूरा हो गया है। 30 मार्च 2013 तक की स्थिति के अनुसार परियोजना के लिए किया गया वास्तविक सकल व्यय 185.56 करोड़ रुपए के आसपास है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.8 : सैद्धांतिक अनुमोदन / औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

संबलपुर, ओडिशा में एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक एवं औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

855 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त विकासक को 22 अगस्त, 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से इस क्षेत्रफल में से 115.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इसे 13 मार्च 2008 को अधिसूचित किया गया।

एसईजेड नियमावली के अनुसार :

- **(i) 115.70 हेक्टेयर के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 को समाप्त हो गई है।**
- **(ii) 739.30 हेक्टेयर (अर्थात 855 हेक्टेयर का शेष भाग) के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त 2007 को समाप्त हो गई।**

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि वन भूमि का अधिग्रहण तथा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सहित भूमि के अधिग्रहण में यूनिट की कठिनाइयों के कारण विकासक की ओर से वांछित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए गए।

तथापि, परियोजना के उन्नत स्टेटस को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 31 दिसंबर 2013 तक सैद्धांतिक एवं औपचारिक दोनों अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.9 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 13 जून 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

टेबलेट, कैप्सूल, मलहम, ड्राई सीरप तथा इंजेक्शन के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 14 जून 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 13 जून 2013 तक वैध है।

साइट विकास सहित भूमि एवं सिविल निर्माण के लिए 636.70 लाख के अनुमानित लागत के विरुद्ध यूनिट ने अब तक परियोजना पर 314.50 लाख रुपए का निवेश किया है जिसमें 5 एकड़ की चारदीवारी का निर्माण, प्लाट, 25000 आईटीएस के भंडारण टैंक का निर्माण, आंतरिक सड़कों का निर्माण, रेडीमेड कंटेनर, साइट कार्यालय का निर्माण शामिल है।

यूनिट ने संबंधित विभागों से विभिन्न अनुज्ञप्तियों / लाइसेंसों के लंबित होने के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 12 जून 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

क्रीम / मलहम / जल / लोशन के यप में एंटी अस्थमा, डर्मेटोलॉजी तथा अन्य रोगहर फार्मुलेशन, मीटर्ड ड्रग इनरेलर तथा ड्राई पाउडर इनहेलर के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 13 जून 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 12 जून 2013 तक वैध है।

135.38 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के विरुद्ध यूनिट ने भवन के निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, मशीन एवं अन्य आपूर्तियों के लिए अग्रिम सहित प्रोसेस उपकरणों पर 66.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने संबंधित देशों के एफडीए से विनियामक अनुमोदनों के लंबित होने के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 2 अगस्त 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोजेनेक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

प्रिसीजन इंजीनियरिंग के उपकरणों तथा मोलेकुलर डायग्नोस्टिक में डिस्कवरी टूल्स के निर्माण और निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 3 अगस्त 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 2 अगस्त 2013 तक वैध है।

यूनिट ने अब तक सिविल कार्य, इलेक्ट्रिकल कार्य, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, बाहरी विद्युतीकरण, एचवीएसी तथा एसटीपी के कार्यों पर 14.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने एपीआईआईसी के साथ विद्युत की समस्या के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 31 अगस्त 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एयरक्राफ्ट के एमआरओ तथा सहायक सेवाओं के लिए उपर्युक्त यूनिट को 1 सितंबर 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 31 अगस्त 2013 तक वैध है।

यूनिट ने अब तक लगभग 265 करोड़ रुपए का निवेश किया है। परियोजना का एक भाग अर्थात एयरक्राफ्ट के लिए एमआरओ सुविधा का कार्यान्वयन उन्नत चरण पर है तथा दिसंबर 2013 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है। अधिकृत प्रचालनों के दूसरे भाग अर्थात एयरक्राफ्ट इंजन के लिए जांच की शुरुआत का निर्माण भी हाल ही में शुरू हो गया है।

यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है क्योंकि निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.10 : एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामलों की पुष्टि के लिए मामले

(i) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद्र एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 18 जून 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 18 जून, 2013 तक वैध है। इस विभाग में मामले की जांच की गई तथा पाया गया कि यह बहु उत्पाद्र एसईजेड है। अब तक 235 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। टाटा स्टील के निदेशक मंडल द्वारा 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा

चुका है। 30 अगस्त 2014 तक एलओपी का चौथा विस्तार प्रदान करने और फिर अनुमोदन बोर्ड के समक्ष इसकी पुष्टि कराने का निर्णय लिया गया।

मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 मई 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली कार्पोरेशन का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 6 नवंबर 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के साढ़े छः विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो 5 मई, 2013 तक वैध है। इस विभाग में मामले की जांच की गई तथा 6 माह के लिए 5 नवंबर 2013 तक उसके एलओपी की वैधता अवधि इस शर्त के अधीन बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि पुष्टि के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अब सूचित किया है कि विकासक गुड़गांव के तत्कालीन कलेक्टर के आदेश दिनांक 27 जुलाई 2010 को अपाश्त करने के लिए आयुक्त, गुड़गांव के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है।

विकासक ने परियोजना में अब तक लगभग 149.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें से लगभग 30.5 करोड़ रुपए एफडीआई है, ताकि वैश्विक स्तर की अवसंरचना का सृजन किया जा सके।

मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

(iii) गुड़गांव में बहु उत्पाद्य एसईजेड के विकास के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उनके प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स क्रिस्टल सिटी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड था) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 3 अप्रैल 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जिसकी वैधता अवधि 2 अप्रैल 2011 तक थी। तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के उसके मामले को अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि उन्होंने परियोजना को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है।

विकासक ने यह कहते हुए अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया है कि उसके एसईजेड को प्रारंभ न करने का कारण यह था कि राज्य सरकार से पानी और बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाइयां थी तथा बाजार की स्थितियां भी प्रतिकूल थीं।

विकासक के सतत अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में मामले की जांच की गई तथा 30 सितंबर 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया जिसके अंदर वह भूमि के भौतिक विकास का कार्य अवश्य करेगा तथा नियत समय सीमा में भौतिक प्रगति के बारे में रिपोर्ट भेजेगा।

मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.11 : यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामलों की पुष्टि के लिए मामले

(i) 5 अगस्त, 2013 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी सी2-सी3 प्लांट्स जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट दाहेज एसईजेड में है। 6 मार्च 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किया गया तथा आखिरी बार बढ़ाई गई अवधि की वैधता 5 अगस्त 2013 तक थी।

यूनिट ने दोहरी कस्टम ड्यूटी के कारण तथा श्रिंकेज के विरुद्ध गैस के उपयोग के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अनुमोदन लंबित होने के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने अब तक 903.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बताया गया है कि प्री-कमिशनिंग / कमिशनिंग की गतिविधियों के लिए अपेक्षित सामग्रियां / स्पेयर डिस्पैच के लिए तैयार हैं। 5 अगस्त 2013 को एलओपी की वैधता अवधि समाप्त हो जाने की वजह से एसईजेड के लेनदेन को आनलाइन किए जाने के कारण इसे लेनदेन से संबंधित समस्याएं होंगी।

इस विभाग में माल की जांच की गई तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन 5 अगस्त 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मामला एक साल के लिए अर्थात 5 अगस्त 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाए जाने के कार्योत्तर अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.12 : विविध मामले

(i) जेवी पार्टनर को 50 प्रतिशत इक्विटी के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड का सह विकासक, का अनुरोध

उपर्युक्त सह विकासक जो एपीएसईजेडएल की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया।

दिसंबर 2012 में विकासक और सह विकासक ने मुंडी लिमिटेड जो मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी एसए (एमएससी), स्विटजरलैंड की सहायक कंपनी है, के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी की है तथा संयुक्त उद्यम के अपने पार्टनर को एआईसीटीपीएल की 49 प्रतिशत इक्विटी आवंटित की है।

विकासक और सह विकासक ने सूचित किया है कि कंटेनर टर्मिनल के अबाध कामकाज को सुगम बनाने के लिए एआईसीटीपीएल में अपने जेवी पार्टनर मैसर्स मुंडी लिमिटेड को 50 प्रतिशत इक्विटी आवंटित करने का प्रस्ताव किया है (अनुबंध 1)।

जेवी पार्टनर को 50 प्रतिशत इक्विटी के आवंटन के बाद एआईसीटीपीएल की शेयरहोल्डिंग घटकर 51 प्रतिशत से कम हो जाएगी।

वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 23 दिनांक 16 जुलाई 2009 के अनुसार यदि किसी एसईजेड संस्था की शेयरहोल्डिंग 51 प्रतिशत से कम होती है तो अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त ढंग से विचार करने के लिए अनुरोध को अग्रेषित किया है।

(ii) राजीव इनफोटेक पार्क फेज 2, गांव हिंजेवाड़ी एवं मान, तालुक मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकास के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड के लिए मैसर्स डीएलफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड को 27 जून 2008 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस कंपनी में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड की शेयरहोल्डिंग 67 प्रतिशत थी तथा मैसर्स आकृति निर्माण लिमिटेड के पास शेष 33 प्रतिशत शेयर थे। इसके बाद मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड ने शेष 33 प्रतिशत शेयरों को खरीद लिया तथा उपर्युक्त एसईजेड के 100 प्रतिशत शेयरों का धारक बन गया।

अब विकासक ने मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड नाम में प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को मैसर्स डीएलफ इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के नाम में हस्तांतरित करना चाहता है (अनुबंध 2)।

विकासक ने नाम में परिवर्तन के संबंध में आरओसी से निगमन प्रमाण पत्र दिनांक 20 जुलाई 2012 की प्रति तथा परिवर्तित नाम में एसईजेड के क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार से एनओसी प्रस्तुत किया है। विकासक ने यह वचन भी दिया है कि उसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न या विकासक के निदेशक मंडल की संरचना में वर्तमान अनुरोध से पहले या बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है (जो पूर्ववत अर्थात 100 प्रतिशत बना हुआ है)।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) अपने विलय पर शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम जिला, चेन्नई, तमिलनाडु में एलकॉट के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में प्रचालन करने वाले मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए सह विकासक के स्टेटस को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को एलओए दिनांक 23 अप्रैल, 2007 के माध्यम से सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब मुंबई और आंध्र प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सह विकासक का मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के साथ विलय हो गया है।

इसके बाद मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड ने अब मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए सह विकासक का दर्जा अपने नाम में हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया है (अनुबंध 3)। अधिग्रहण करने वाली कंपनी ने सतत सरोकार आधार पर सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पालन करने तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत निर्धारित सभी नियमों एवं विनियमों का भी पालन करने का वचन दिया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) उनके विलय पर मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो बहादुपल्ली गांव, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 20 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब मुंबई और आंध्र प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार विकासक का मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के साथ विलय हो गया है।

इसके बाद मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड ने अब मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए विकासक का दर्जा अपने नाम में हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया है (अनुबंध 4)। अधिग्रहण करने वाली कंपनी ने सतत सरोकार आधार पर सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पालन करने तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत निर्धारित सभी नियमों एवं विनियमों का भी पालन करने का वचन दिया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) उनके विलय पर मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 23-34, हाइटेक सिटी, माधापुर, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 21 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब मुंबई और आंध्र प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार विकासक का मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के साथ विलय हो गया है।

इसके बाद मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड ने अब मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए विकासक का दर्जा अपने नाम में हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया है (अनुबंध 5)। अधिग्रहण करने वाली कंपनी ने सतत सरोकार आधार पर सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पालन करने तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत निर्धारित सभी नियमों एवं विनियमों का भी पालन करने का वचन दिया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को अपनी संपूर्ण इक्विटी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जो ग्राम वल्लनचेरी, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त विकासक (पूर्व में इसका नाम एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड था) ने मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को अपनी संपूर्ण इक्विटी (100 प्रतिशत) हस्तांतरित करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया है (अनुबंध 6)। विकासक कंपनी जो विकासक कंपनी का शेयरधारक है, एवं क्रेता ने इसके लिए 9 मई 2013 को शेयर क्रय करार निष्पादित किया है। विकासक कंपनी तथा क्रेता दोनों ने एसईजेड की अचूक सततता तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुपालन के लिए वचन पत्र प्रस्तुत किया है। क्रेता ने मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए आरओसी, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा 2 जून 2010 को जारी किए गए निगमन का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन के लिए विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने की सिफारिश की है क्योंकि विकासक कंपनी तथा क्रेता दोनों ने अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एसईजेड की अचूक सततता के लिए वचन पत्र प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) एसईजेड का सेक्टर 'विद्युत' से बदलकर 'इंजीनियरिंग' करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 5 दिसंबर, 2012 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब तक उन्होंने 30-35 प्रतिशत परियोजना कार्य पूरा कर लिया है तथा कार्यों तथा पावर प्लांट के लिए भेल को आर्डर देने पर 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकासक ने क्षेत्र में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए प्रबल संभावना को ध्यान में रखते हुए सेक्टर में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है (ब्यौर अनुबंध 7 में उपलब्ध हैं)।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों को रखने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(viii) मैसर्स बंगलौर एसईजेड, मंगलौर द्वारा बैकमपैडी, मंगलौर में पेट्रोकेमिकल एवं पेट्रोलियम के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में सेक्टर में परिवर्तन के लिए एसईजेड

उपर्युक्त एसईजेड को 30 जुलाई 2007 को औपचारिक एलओए प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक एसईजेड के 624.786 हेक्टेयर क्षेत्रफल को अधिसूचित कर चुका है।

विकासक ने सेक्टर में परिवर्तन के लिए आवेदन किया है क्योंकि यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की घोषणा दिनांक 18 अप्रैल 2013 (अनुबंध 8) के अनुसार बहु उत्पाद्र एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात 500 हेक्टेयर से अधिक है।

इसलिए विकासक अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का स्टेटस बहु उत्पाद्र एसईजेड के रूप में अपग्रेड करना चाहता है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एसईजेड नियमावली में नवीनतम संशोधन दिनांक 12 अगस्त 2013 के आधार पर बहु उत्पाद्र एसईजेड के रूप में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के स्टेटस को अपग्रेड करने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 59.13 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट (1) है, की अपील

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड जो उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है, ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल करने के लिए आवेदन किया था :

- **(i) एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**
- **(ii) कनवेंशन सर्विसेज**
- **(iii) रेल ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**
- **(iv) रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस**
- **(v) ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**

28 जून, 2013 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपर्युक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधार पर उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 9) दाखिल की है :

(i) यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड के अधिकृत प्रचालन के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में उपयुक्त सेवाओं को मंजूरी प्रदान न करने में चूक की है। यूनिट अनुमोदन समिति यह समझने में विफल रही है कि एसईजेड यूनिट से सेवाओं के निर्यात के लिए उपर्युक्त सेवाएं आवश्यक हैं जिनका पूर्णत: प्रयोग एसईजेड यूनिटों के अधिकृत प्रचालनों के लिए किया जाता है।

(ii) सेवाओं की अस्वीकृति एसईजेड की स्कीम के विरुद्ध है जिसका अभिप्राय कर का निर्यात है जो सरकार की नीति के खिलाफ है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट (3) है, की अपील

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड जो उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है, ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल करने के लिए आवेदन किया था :

(i) एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
(ii) कनवेंशन सर्विसेज
(iii) रेल ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
(iv) रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस
(v) ट्रैवल एजेंट की सेवाएं

28 जून, 2013 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपर्युक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधार पर उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 10) दाखिल की है :

(i) यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड के अधिकृत प्रचालन के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में उपयुक्त सेवाओं को मंजूरी प्रदान न करने में चूक की है। यूनिट अनुमोदन समिति यह समझने में विफल रही है कि एसईजेड यूनिट से सेवाओं के निर्यात के लिए उपर्युक्त सेवाएं आवश्यक हैं जिनका पूर्णत: प्रयोग एसईजेड यूनिटों के अधिकृत प्रचालनों के लिए किया जाता है।

(ii) सेवाओं की अस्वीकृति एसईजेड की स्कीम के विरुद्ध है जिसका अभिप्राय कर का निर्यात है जो सरकार की नीति के खिलाफ है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट (4) है, की अपील

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड जो उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है, ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल करने के लिए आवेदन किया था :

- **(i) एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**
- **(ii) कनवेंशन सर्विसेज**
- **(iii) रेल ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**
- **(iv) रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस**
- **(v) ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**

28 जून, 2013 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपर्युक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधार पर उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 11) दाखिल की है :

- **(i) यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड के अधिकृत प्रचालन के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में उपयुक्त सेवाओं को मंजूरी प्रदान न करने में चूक की है। यूनिट अनुमोदन समिति यह समझने में विफल रही है कि एसईजेड यूनिट से सेवाओं के निर्यात के लिए उपर्युक्त सेवाएं आवश्यक हैं जिनका पूर्णत: प्रयोग एसईजेड यूनिटों के अधिकृत प्रचालनों के लिए किया जाता है।**
- **(ii) सेवाओं की अस्वीकृति एसईजेड की स्कीम के विरुद्ध है जिसका अभिप्राय कर का निर्यात है जो सरकार की नीति के खिलाफ है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो नानाक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद में मैसर्स टीएसआई बिजनस पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सह विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रचालन कर रहा है, की अपील

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड जो उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है, ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल करने के लिए आवेदन किया था :

- **(i) एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**
- **(ii) कनवेंशन सर्विसेज**
- **(iii) रेल ट्रैवल एजेंट की सेवाएं**

(iv) रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस

(v) ट्रैवल एजेंट की सेवाएं

28 जून, 2013 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपर्युक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधार पर उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 12) दाखिल की है :

(i) यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड के अधिकृत प्रचालन के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में उपयुक्त सेवाओं को मंजूरी प्रदान न करने में चूक की है। यूनिट अनुमोदन समिति यह समझने में विफल रही है कि एसईजेड यूनिट से सेवाओं के निर्यात के लिए उपर्युक्त सेवाएं आवश्यक हैं जिनका पूर्णत: प्रयोग एसईजेड यूनिटों के अधिकृत प्रचालनों के लिए किया जाता है।

(ii) सेवाओं की अस्वीकृति एसईजेड की स्कीम के विरुद्ध है जिसका अभिप्राय कर का निर्यात है जो सरकार की नीति के खिलाफ है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2013 के विरुद्ध मैसर्स इपका लैबोरेटरीज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 1, फेज 2, पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड के तहत प्रचालन कर रहा है, की अपील

मैसर्स इपका लैबोरेटरीज लिमिटेड जो उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है, ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि पर पुनर्विचार सहित एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 के उप नियम 4 के तहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए पिछली घोषित तिथि के बाद दो वर्ष 6 माह की अगली अवधि के लिए अपने एलओए दिनांक 9 नवंबर 2014 के विस्तार के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन किया था।

अपीलकर्ता ने 28 मई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा उपर्युक्त अस्वीकृति के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील (अनुबंध 13) की है, जिसके माध्यम से यूनिट अनुमोदन समिति ने यह राय व्यक्त की थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत यूनिट द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया जा सकता है और यह कि काफी समय बीत जाने के बाद ऐसा अनुरोध दाखिल करने का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 10 जून 2013 के विरुद्ध मैसर्स इंडिया सेल्स कॉर्पोरेशन जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स इंडिया सेल्स कॉर्पोरेशन जो एमईपीजेड की यूनिट है, ने ब्राड बैंडिंग / विविधीकरण के तहत पान मसाला, परफ्यूम्ड पान मसाला तथा सेंटेट तंबाकू के निर्माण एवं निर्यात के लिए आवेदन किया था जिसे मंजूर नहीं किया गया क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इन वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 14) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 21 मई 2013 के विरुद्ध मैसर्स सतगुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स सतगुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, ने निदेशकों में परिवर्तन के लिए आवेदन किया था तथा पट्टा किराया के प्रभारों में वृद्धि की शर्त के साथ 4 मार्च 2013 को आयोजित केएएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 55वीं बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई थी।

अपीलकर्ता ने निदेशकों में परिवर्तन पर अधिक पट्टा किराया प्रभारित करने के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील (अनुबंध 15) की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

*****